राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10 (न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/25/ 12651 दिनांक 10/6/2025

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(प) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार ग्राम पंचायत **खैरवाडा जिला उदयपुर** के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4229 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया था, साथ ही विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत **खैरवाडा** के निर्वाचित सरपंच/उपसरपंच को क्रमशः अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को वार्ड सदस्य समझा जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) (प) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका **खैरवाडा** के गठन हेतु जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.10 (न.पा.) (गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/4229 दिनांक 23.08.2023 को प्रशासनिक कारणों से एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है। नगरपालिका **खैरवाडा (जिला उदयपुर)** के क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायते एवं राजस्व ग्राम पूर्ववत पंचायत का भाग रहेगें तथा ग्राम पंचायत **खैरवाडा** नियमानुसार कार्यरत रहेगी ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्वि)डीएलबी/25/ 12652-69 दिनांकः 10/6/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

Scanned with OKEN Scanner

08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त, **उदयपुर**।
10. जिला कलक्टर **उदयपुर**।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर/पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार/समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, **उदयपुर** राजस्थान।
15. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खैरवाडा।
16. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, एंव वार्ड पंच संबंधित **ग्राम पंचायत .... के राजस्व ग्राम**..................... जिला **उदयपुर** द्वारा **अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खैरवाडा।**
18. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय को प्रकरण में केवियट दायर किए जाने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Scanned with OKEN Scanner